रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10 1941
No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 548(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, टोल एवं आइटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

3. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (......... संशोधन) नियम, 2019 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) .-

(i) नियम 104 में.-

(क) उप-नियम (1) में, शब्दों "तीन पहिया वाहनों और" को लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) में, खंड (i), (ii), (iii) में शब्दों और आंकड़ों "1 अप्रैल, 2009 को और इसके पश्चात विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (1) में, खंड (iv) में, शब्दों और आंकड़ों "1 अक्टूबर, 2009 को और इसके पश्चात विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (1) के लिए खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात-

"(v) ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित तीन पहिया वाहनों में वाहन की संपूर्ण चौड़ाई में फैली सामने की ओर सफेद परावर्तक टेप और पीछे की ओर लाल परावर्तक टेप लगाई जाएंगी तथा सामने और पीछे की ओर लगाई गई टेपों की चौड़ाई 20 मिमी से कम नहीं होगी और तदनुरूपी बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित किए जाने तक एआईएस:090-2005 के अनुबंध 4, 5 और 6 की अपेक्षा के अनुरूप होंगी।";

(ii) नियम 104घ में, शब्दों और आंकड़ों "1 अप्रैल, 2015 को और इसके पश्चात विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 104घ में, भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग की अधिसूचना सा.का.नि. 212 (अ), दिनांकित 20 मार्च, 2015 के तहत यथा अंत:स्थापित पार्श्व शीर्षक में शब्दों अर्थात् "104घ हाइड्रोलिक ट्रेलर पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप या परावर्तक और पीछे की चिह्नांकन प्लेट को लगाया जाना" के स्थान पर शब्दों अर्थात् "104ङ. हाइड्रोलिक ट्रेलर पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप या परावर्तक और पीछे की चिह्नांकन प्लेट को लगाया जाना" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 20 मार्च, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा;

सारणी

(iv) नियम 62 में, उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

क्र. सं.	मद	फिटमेंट की जाँच	मूल उपकरण अनुशंसा के अनुसार बनावट या प्रकार रेटिंग आदि की जांच	स्थितियों की जाँच	कार्य पद्धति की जाँच	परीक्षण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अधिकतम गति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	वाहन को भार रहित स्थिति में (पूरी तरह से चार्ज और पूर्ण त्वरक की स्थिति में) सीधी या समतल सड़क पर चलाया जाएगा और जब वाहन अधिकतम गति पर होता है तो अधिकतम गति की गणना निर्धारित दूरी (अर्थात 50 मीटर) तय करने में लगने वाले समय के द्वारा की जाएगी।"

2.	परावर्तक	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	यह सुनिश्चित किया जाना कि परावर्तक और रिफ्लेक्टिव टेप नियम 104 के अनुरूप हैं

[फा. सं. आरटी-11028/18/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

G.S.R. 548(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, IT & Toll),email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. **Short Title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules).-

(i) in rule 104.-

(a) in sub-rule (1), the words " three wheelers and " shall be omitted;

(b) in sub-rule (1), in clause (i), (ii), (iii), the words and figurers "manufactured on and after 1st day of April, 2009," shall be omitted;

(c) in sub-rule (1), in clause (iv), the words and figurers "manufactured on and after 1st day of October, 2009," shall be omitted;

(d) for sub-rule(1) after clause (iv) the following shall be inserted namely.-

"(v) three wheeled vehicles including e-rickshaw and e-cart, shall be affixed at the front with a white reflective tape and at the rear with a red reflective rape running across the width of the body and the tapes affixed at the front and rear shall be not less than 20mm width and shall confirm to the requirement of Annexures 4,5 and 6 of AIS:090-2005, till the corresponding BIS specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11 of 2016).";

(ii) in rule 104D, the words and figurers "manufactured on and after 1st day of April, 2015," shall be omitted;

(iii) in rule 104D, as inserted *vide* notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 212 (E), dated the 20th March, 2015, for the words, in the marginal heading namely "104D. Fitment of retro-reflective tapes or reflectors and rear marking plate on modular hydraulic trailer.-", shall be substituted by words namely "104E. Fitment of retro-reflective tapes or reflectors and rear marking plate on modular hydraulic trailer.-" and shall be deemed to have been substituted with effect from the 20th March, 2015;

(iv) in rule 62, in sub-rule (1),after the second proviso the TABLE shall, be substituted.-

TABLE

Sl. No.	Items	Check fitment	Check make or Type rating, etc., function as per original equipment recommendation	Check conditions	Check functioning	Test	Remarks
(1)	(20	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Maximum Speed	No	No	No	No	Yes	The vehicle shall be driven in unladen Condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximumspeed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (say 50 metres).".
2.	Reflectors	Yes	No	Yes	No	No	Ensure Colour of the reflectors and reflective tapes are as per rule 104

[F. No. RT-11028/18/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.08.02 15:49:54 +05'30'